रामसहाय बनाम राज० सरकार जरिये तहसीलदार व अन्य।

न० -27/2020

21 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों वकुलाय के मध्य अपनी-अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी साथ-साथ किये जाने पर सहमति न्यायालय हाजा के समक्ष दी गई। उभयपक्ष वकुलाय की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत धारा 128 को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। व तहसीलदार बस्सी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी की वाक्यात आराजी खसरा न० 298/4 क्षेत्रफल 0.4200 हे० खसरा न० 301/4 क्षेत्रफल 0.6100 एवं अप्रार्थी की खातेदारी खसरा न 300 क्षेत्रफल 2.0400 हे० उक्त लिखित दोनों वाक्यात आराजीयात की पत्थरगढ़ी दो गिरदावर व चार पटवारीयान की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करे। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि पत्थरगढ़ी करवाते समय पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का उज्र उत्पन्न होता है तो संबंधित थाना थानाधिकारी से पुलिस जाब्ता प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ तहसीलदार बस्सी को तहरीर जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/11/21 को खुले न्यायालय एवं बेर इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर